

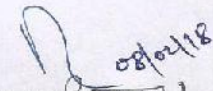
संलग्नक:- 32

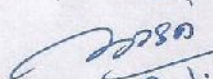
2006-37

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित जनपद बदायूँ में बदायूँ-कादरचौक गंगापुर रोड किमी0-1, चैनेज-0.765, खसरा नं0-282, ग्राग शेखूपुर, तहसील-बदायूँ, जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के कार्य हेतु कुल 0.049748 हेक्टेयर वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग एवं किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार पातित वृक्षों की दुगुनी संख्या में वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ के अन्तर्गत वृक्षारोपण की दृष्टि से दुगुनी संरक्षित 0.1 है0 वन भूमि मथुरा-कादरचौक रोड (एस. एच-33) स्थल का चयन किया गया है। प्रमाणित किया जाता है उक्तानुसार चयनित स्थल वृक्षारोपण के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, जिस पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ
(विशेष सहायक (H+के-1))


(27/02/2008)
प्रभागीय निदेशक
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बदायूँ।


0.1.18
राजीव ठन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० (एग०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन०एच० 24 पोस्ट पाकवाड़ा, मुरादाबाद